(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 27/2016 जीसीएमएस नम्बर – 2017/00077

1. ओमप्रकाश पुत्र बिशेसरलाल
2. राजकुमार पारीक पुत्र भंवरलाल समस्त जाति ब्राहमण निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

...........वादीगण

बनाम

1. धनश्याम पिता भंवरलाल (फौत)
   1/1 प्रेम देवी पत्नी घनश्याम
   1/2 विकास कुमार पारीक पुत्र घनश्याम
   1/3 गोकल चन्द पुत्र घनश्याम
   1/4 सन्तोष कुमार पुत्र घनश्याम
   1/5 अनिता पारीक पुत्री घनश्याम
2. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल
3. उमेश पुत्र मोहनलाल नवीरा विशेसर लाल
4. ललीता पत्नीं मोहनलाल (फौत)
5. कैलाश पुत्र बिसेसरलाल
6. आशीश पुत्र विनोद नवीरा बिशेसरलाल
7. सिलोचना पत्नीं विनोद
8. सुरेन्द्र पुत्र बिशेसरलाल
9. सुभाष पुत्र विशंभर
10. केशरदेव पुत्र विशम्भर (फौत)
    10/1 सावित्री देवी पत्नी केशर देव
    10/2 जितेन्द्र कुमार पुत्र केशर देव
    10/3 श्रवण पारीक पुत्र केशर देव
11. सावित्री पुत्री विशंभर पत्नीं स्व0 [illegible]
12. सुशीला पुत्री विशंभर पत्नीं स्व0 राजेन्द्र पारीक [illegible] जिला झुन्झुनू राज0
13. जगदीश
14. अशोक पुत्रान बृजलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

15. अरविन्द पुत्र बृजलाल
16. आशा देवी पत्नी रमेश
17. गौरव पुत्र रमेश
18. अक्षत पुत्र रमेश उम्र 10 वर्ष जरिये माता आशा देवी समस्त जाति ब्राह्मण नि0 चितौसा तह0 बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
19. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राज0

...................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–   दिनांक:–23.04.2025

(1). वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम चितौसा स्थित भूमि खसरा न0 110 रकबा 2.69 है0 खसरा न0 216 रकबा 0.84 है0 खसरा न0 257 रकबा 2.72 है0 खसरा न0 321 रकबा 1.34 है0 खसरा न0 327 रकबा 1.48 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 9.07 है0 घनश्याम, बाबूलाल, राजेन्द्र पिता भंवरलाल हि 1/6 ब.हि.य ओमप्रकाश मोहनलाल कैलाश विनोद सुरेन्द्र पिता बिशेसरलाल मु0 शांती पत्नी स्व0 बिशेसरलाल विशंभर मदन पिता नारायणदास हिस्सा 1/2 जगदीश अशोक अरविन्द पिता बृजलाल हि0 1/6 रमेश वल्द जुगलकिशोर हि0 1/6 सा0 देह खातेदार तथा नामा0 सं0 326 दि0 5.10.2012 से विशंभर के बजाय शांति देवी पत्नी स्व0 विशंभर सुभाषचंद केशरदेव पिता विशंभर सावित्री सुशीला पुत्री विशंभर हि0 1/6 के नाम दर्ज हो चुका है।
2. यह कि उक्त भूमि मे वादी सं0 1 का 1/30 हिस्सा तथा वादी सं0 2 का 1/18 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 का 1/18, 1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 ल० 4 का 1/30 हि० प्रतिवादी सं0 5 का 1/30 हि0 प्रतिवादी सं0 6 ल0 7 का 1/30 हि0 प्रतिवादी सं0 8 का 1/30 हि0 प्रतिवादी सं0 9 ल0 12 का 1/6 हि0 प्रतिवादी स0 13 ल0 15 का 1/6 हि0 प्रतिवादी सं0 16 ल0 18 का 1/6 हि0 बनता है। उक्त भूमि में दर्ज खातेदारों में मदन ना औलाद फौत हो गया जिसका उक्त भूमि मे 1/6 हि0 बनता था। मदन अपने जीवनकाल मे अपने भाई भवरलाल के पुत्र राजकुमार वादी सं0 2 के साथ ही रहा था उसकी सेवा सुश्रुषा वादी सं0 2 ने ही की थी तथा मदन की मृत्यु पर उसका क्रिया कर्म [illegible] आदि वादी सं0 2 ने ही किया था। मदन के जीवनकाल मे वादी [illegible] दवाई आदि दी थी और मदन ने अपने जीवनकाल मे [illegible] पुत्र माना था इसलिये अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हिस्से की भूमि वादी सं 2 को मौखिक रूप से दान कर दी थी तभी से मदन के हिस्से की भूमि को वादी सं0 2 ही काश्त करता है। इस प्रकार वादी सं0 2 का उक्त भूमि में 1/18 हि0 स्वयं का तथा 1/6 हि0 मदन का मिलाकर कुल 2/9 हि0 बनता है।

3. यह कि वादी सं0 2 का नाम जमाबंदी में राहवन से राजेन्द्र पिता भंवरलाल दर्ज हो गया है जबकि वादी सं0 2 का सही नाम राजकुमार पारीक है जो सही दस्तावेजों में राजकुमार पारिक ही दर्ज है। इस प्रकार वादी सं0 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल को दुरूस्त करवाके राजकुमार पारीक दर्ज करवाना चाहता है तथा उक्त भूमि में वादी सं0 2 अपना 1/18 हि0 के बजाय 2/9 हि0 घोषित करवाना चाहता है। मदन के हिस्से की भूमि को वादी सं0 2 अपने नाम करवानें के लिये जो स्टाम्प डयूटी बनती है वो देनें को तैयार है तथा प्रतिवादीगण को भी उक्त भूमि वादी सं0 2 अपने नाम घोषित करवाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। सभी वादीगण व प्रतिवादीगण अपनें अपनें हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है अपना बाहमी बटवारा कर रखा है। जो अपना खाता विभाजन भी करवाना चाहते है।

4. यह कि वादीगण अपनीं भूमि की उन्नति कर सकें इसलिये अपना खाता विभाजन करवानें के अधिकारी है तथा वादी सं0 2 अपना नाम राजेन्द्र कि बजाय राजकुमार पारीक दर्ज करवानें का व अपना हि0 2/9 घोषित करवानें का अधिकारी है तथा इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करवानें का अधिकारी है।

5. यह कि वादीगण नें प्रतिवादीगण को दस रोज पूर्व खाता विभाजन व रिकार्ड दुरूस्त करवानें के लिए कहा तो वे सहमत हो गये लेकिन कहा कि आप ही न्यायालय मे जाकर दावा करो हमें कोई आपति नहीं है। इसलिए दावे के लिए आधार विवाद दस रोज पूर्व पैदा हुआ जो दावा सावधि पेश है।

6. यह कि उक्त जमाबन्दी में दर्ज मोहनलाल, शांती देवी पत्नी बिशेसर लाल, मदन, रमेश, शांति देवी पत्नीं विशंभर फौत हो चुके है जिनके वारीसान को दावे में पक्षकार बना दिया गया है।

7. यह कि उक्त भूमि वाके ग्राम चितौसा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिये दावा सुननें का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमानजी को है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं

वादीगण ने वाद पत्र पेश अनुतोष चाहा है कि:–

(क). कि वाके ग्राम चितौसा स्थित भूमि खसरा न0 [illegible] रकबा 2.69 है0 खसरा न0 216 रकबा 0.84 है0 खसरा न0 257 [illegible] खसरा न0 321 रकबा 1.34 है0 खसरा न0 327 रकबा 1.48 है0 कुल किता 5 कुल रकबा [illegible] है0 मे वादी सं0 2 को 2/9 हि0 का कास्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(ख). कि यह कि वादी सं0 2 का नाम राजेन्द्र पिता भंवरलाल के बजाय राजकुमार पारीक दर्ज किया जावे। तथा इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे ।

(ग). कि वाके ग्राम चितौसा स्थित भूमि खसरा न0 110 रकबा 2.69 है0 खसरा न0 216 रकबा 0.84 है0 खसरा न0 257 रकबा 2.72 है0 खसरा न0 321 रकबा 1.34 है0 खसरा न0 327 रकबा 1.48 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 9.07 है0 में वादीगण का अपनें अपने हिस्से का खात अलग किया जाकर खाता विभाजन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा एवं प्रतिदावा पेश किया गया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 की ओर से श्री अमित यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा /इकबाली जवाब दावा व राजीनामा पेश किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 की ओर से जवाब दावा मय राजीनामा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं –

यह कि वाके ग्राम चितौसा स्थित भूमि ख0 न0 110 रकबा 2.69 है0, ख0 न0 216 रकबा 0.84 है0, ख0 न0 257 रकबा 2.72 है0, ख0 न0 321 रकबा 1.34 है0, ख0 न0 327 रकबा 1.48 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 9.07 है0, भूमि में सभी प्रतिवादीगण का भी प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 व 4 का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 व 7 का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 का 1/30 हिस्सा प्रतिवादी सं0 9 लगायत 12 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 16 लगायत 18 का 1/6 हिस्सा भी खाता अलग से लगान कायम किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 की ओर से श्री अमित यादव एडवोकेट द्वारा वकालतानामा व इकबालिया जवाब दावा/राजीनामा पेश किया व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.2019 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 05 दिनांक 09.10.2019 से [illegible] भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 119 दिनांक 20.01.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दरतावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दरतावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम चितौसा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 32 में उभय पक्षकारान के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

– :: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम चितौसा तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 32 खसरा न0 110 रकबा 2.69 है0 खसरा न0 216 रकबा 0.84 है0 खसरा न0 257 रकबा 2.72 है0 खसरा न0 321 रकबा 1.34 है0 खसरा न0 327 रकबा 1.48 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 9.07 है0 भूमि में वादी संख्या 2 का नाम राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल के स्थान पर राजकुमार पारीक पुत्र भंवरलाल दुरूस्त किया जाकर उभय पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 23/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी II, आर.ए.एस

राजस्व वाद स. 27 / 2016 जीसीएमएस नम्बर :– 2017 / 00077

दावा – खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

वादी की ओर से **श्री जगदेव सिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 की ओर से श्री अमित यादव एडवोकेट की उपस्थिति में व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम चितौसा तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 32 खसरा न0 110 रकबा 2.69 है0 खसरा न0 216 रकबा 0.84 है0 खसरा न0 257 रकबा 2.72 है0 खसरा न0 321 रकबा 1.34 है0 खसरा न0 327 रकबा 1.48 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 9.07 है0 भूमि में वादी संख्या 2 का नाम राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल के स्थान पर राजकुमार पारीक पुत्र भंवरलाल दुरूस्त किया जाकर उभय पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 23/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)